

पचा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

टिब्बी जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :- सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० 454 / 2025

1. महेन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल अकवाम जाट निवासीयान मोहनमगरिया तहसील व
जिला हनुमानगढ।
2. सत्यपाल पुत्र गुरदयाल वादीगण

1. गुडी देवी पुत्री मुखराम पत्नी महावीर जाति जाट निवासी बहरवाला कलां तहसील
2. सुन्दर पुत्री मुखराम पत्नी नानूराम टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. शिमला देवी पुत्री मुखराम पत्नी बृजलाल जाति जाट निवासी बघेर तहसील रानियां जिला
सिरसा।
4. सरबती पुत्री मुखराम पत्नी सजन कुमार जाति जाट निवासी विलकनी ढाब तहसील व
जिला सिरसा।
5. माना देवी पत्नी मोहनलाल अकवाम जाट निवासी मोहनमगरिया तहसील व जिला
6. चन्द्रभान पुत्र मोहनलाल हनुमानगढ।
7. संतोष पुत्री मोहनलाल पत्नी सत्यपाल जाति जाट निवासी 7 एम. डबल्यू.एम हनुमानगढ
तहसील व जिला हनुमानगढ।
8. सुमित्रा पुत्री मोहनलाल पत्नी राकेश कुमार जाति जाट निवासी 7 एम. जैड डबल्यू
डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
9. कलावती पत्नी गुरदयाल जाति जाट निवासी मोहनमगरिया तहसील व जिला हनुमानगढ।
10. संजू पुत्री गुरदयाल पत्नी संजीव कुमार जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ।
11. रोशनी पत्नी पप्पूराम अकवाम जाट निवासीयान मोहनमगरिया तहसील व
जिला हनुमानगढ।
12. मुकेश कुमार पुत्र पप्पूराम
13. प्रियका कुमारी पुत्री पप्पूराम
14. राकेश कुमार पुत्र पप्पूराम
15. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ।



प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री महावीर वर्मा व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- क.वादी सं० 1 महेन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल प्रतिवादी सं० 6 चन्द्रभान को ब०हि०ब० प्राप्त आराजी:-चकन० 2 आरपी रहित के पदेन सहायक कलक्टर 72 में अंकित कुल 0.684 है०, चकन० 2 आर.पी. सहित के खाता सं० 57 की कुल टिब्बी है०, चकन० 3 आरपी के खाता सं० 29/22 के प०न० 175/349 मु० 11 किलान० 15/.

236 है० उत्तरी दिशा, 14/.024 है० (दक्षिणी दिशा में .017 है० छोड़कर) पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण (पूर्व दिशा में 154 फुट लम्बाई में व 17 फुट चौड़ाई में पूर्व से पश्चिम)

ख. वादीसं० 2 सत्यपाल को प्राप्त आराजी:- चक नं० 6 आर.पी. के खाता सं० 64 की कुल 1.314 है०, चकनं० 3 आर.पी. के प०न० 175/349 मु० 11 किलानं० 12/.253, 11/.253, प०न० 175/348 मु० 4 किलानं० 1/1/.126 है०

ग. प्रतिवादीया सं० 11 रोशनी को प्राप्त आराजी:- चकनं० 4 आर.पी. के खाता सं० 78 में अंकित 1.493 है०, चकनं० 3 आर.पी. के प०न० 175/349 मु० 11 किलानं० 13/.236 है० उत्तरी दिशा, 14/.212 है० पश्चिमी दिशा में 148 फुट चौड़ाई में पूर्व से पश्चिम व 154 फुट लम्बाई उत्तर से दक्षिण, चकनं० 4 एम. एस. टी. एस. एम. रहित के खाता सं० 41 में अंकित कुल 1.265 है०

घ. वादीसं० 1 महेन्द्र कुमार, वादी सं० 2 सत्यपाल, प्रतिवादी सं० 6 चन्द्रभान, प्रतिवादी सं० 11 रोशनी को ब०हि०ब० आराजी:- चकनं० 3 आर.पी. के प०न० 175/349 मु० 11 किलानं० 13/.017, 14/.017, 15/.017 है० प्रत्येक दक्षिणी दिशा में पूर्व से पश्चिम उक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित किये जाते हैं वादीगण एवं प्रतिवादीगण का खाता तकसीम कर रकमराज-अलग से कायम की जावे व चक न० चकनं० 2 आर. पी. सीएडी रहित के खाता सं० 72, चकनं० 2 आरपी सीएडी सहित के खाता सं० 57 में से गौरां देवी, मुकेश, मोहनलाल, राकेश, रोशनी, सत्यपाल का नाम कलमजन, चक नं० 6 आर.पी. के खाता सं० 64/56 में से गौरां देवी, मुकेश, मोहनलाल, राकेश, रोशनी का नाम कलमजन, चकनं० 4 आर.पी. के खाता सं० 78/26 में से गोरा देवी, मोहनलाल, सत्यपाल, मुकेश, राकेश का नाम कलमजन, चकनं० 4 एम. एस. टी. एस. एम. रहित के खाता सं० 41/46 में से मुखराम का नाम कलमजन, चक नं० 3 आरपी खाता सं० 29/22 में से गौरां देवी, मोहनलाल, मुकेश, राकेश का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ/टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/2/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



बपखंडे (अधीकार) एवं
पदेक (सहायक अधीकार) (राजस्व)
एवं सहसिद्धि कलक्टर टिब्बी।